भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2010
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाएं

2010. **श्री एंटो एन्टोनी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में अनुमोदित शीत शृंखला परियोजनाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में शीत शृंखला परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में पांच वर्ष से अधिक समय पहले और दस वर्ष से भी अधिक समय पहले स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) पांच वर्ष से अधिक समय पहले और दस वर्ष से भी अधिक समय पहले अनुमोदित शीत शृंखला परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब, यदि हुआ है तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) केरल में चल रही शीत शृंखला परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(च) क्या केरल में शीत शृंखला परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रकार के विलंब को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2008 से एकीकृत शीत शृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत शृंखला योजना) लागू कर रहा है। दिनांक 30.06.2026 तक, शीत शृंखला योजना के अंतर्गत, देश भर में 409 शीत शृंखला परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए कुल 3089.08 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि है, जिसमें से 2540.89 करोड़ रुपये परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 409 परियोजनाओं में से 311 पूर्ण और परिचालन में हैं और 98 जारी हैं। स्वीकृत, पूर्ण और परिचालन परियोजनाओं का व्यापक राज्य-वार विवरण, स्वीकृत और जारी की गई निधियों के साथ, **अनुबंध-I** में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) और (घ) 320 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को पांच साल से अधिक समय पहले स्वीकृति मिली थी [वर्ष 2008-09 से वर्ष 2020-21], जिसमें 25 जारी परियोजनाएं भी शामिल हैं। 125 शीत श्रृंखला परियोजनाओं दस साल से अधिक समय पहले [वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16] स्वीकृति दी गई थी, जिनमें तीन जारी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनका राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पांच साल से अधिक समय पहले स्वीकृत उपरोक्त 25 जारी परियोजनाओं और दस साल पहले स्वीकृत तीन जारी परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं:

(i) स्थानीय निकायों और नियामक प्राधिकरणों से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में देरी।

(ii) बैंकों द्वारा सावधि ऋण के वितरण में देरी।

(iii) परियोजना के स्थान में परिवर्तन, बैंक में परिवर्तन और घटकों में परिवर्तन के लिए प्रमोटरों द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने में देरी।

(iv) प्रमोटर की इक्विटी पूरी करने के लिए निधि जुटाने में कठिनाई।

(v) आयातित प्लांट और मशीनरी प्राप्त करने और परियोजना के स्थापना में देरी।

(vi) कोविड-19 महामारी, जिसने श्रम उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स और उपकरण आपूर्ति को बाधित किया।

(vii) प्रमोटर द्वारा दावों को जमा करने में देरी।

(ङ) और (च) केरल राज्य में जारी चार परियोजनाओं के लिए कुल 35.77 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान स्वीकृत की गई, जिसमें से एक परियोजना के लिए 3.12 करोड़ रुपये जारी किए गए। इन जारी परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने में देरी के मुख्य कारण हैं:

(i) स्थानीय निकायों और नियामक प्राधिकरणों से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में देरी।

(ii) बैंकों द्वारा सावधि ऋण के वितरण में देरी, और

(iii) प्रमोटर द्वारा मंत्रालय को दावे प्रस्तुत करने में देरी।

परियोजना के कार्यान्वयन में देरी से संबंधित ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए, मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है और विभिन्न स्तरों पर समस्याओं को कम करने में उनकी सहायता करता है।

अनुबंध- I

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु "स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2010 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

स्वीकृत, पूर्ण और परिचालन परियोजनाओं, स्वीकृत सहायता अनुदान और जारी सहायता अनुदान का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या	जीआईए स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	जीआईए जारी (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	1	1	0	2.81	2.81
2	आंध्र प्रदेश	37	25	12	313.67	245.82
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1	15.59	6.46
4	असम	2	2	0	17.37	17.37
5	बिहार	5	3	2	39.85	34.86
6	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	4	2	2	30.41	11.52
8	दादरा और नगर हवेली और दीव और दमन	0	0	0	0.00	0.00
9	दिल्ली	0	0	0	0.00	0.00
10	गोवा	0	0	0	0.00	0.00
11	गुजरात	29	25	4	233.27	203.77
12	हरियाणा	23	18	5	174.00	147.67
13	हिमाचल प्रदेश	16	14	2	138.10	130.92
14	जम्मू और कश्मीर	7	5	2	52.83	32.83
15	झारखंड	0	0	0	0.00	0.00
16	कर्नाटक	20	14	6	147.37	101.39
17	केरल	8	4	4	56.96	24.31
18	लद्दाख	0	0	0	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	11	9	2	83.03	71.20
21	महाराष्ट्र	77	59	18	543.37	458.30
22	मणिपुर	1	1	0	9.96	9.96
23	मेघालय	0	0	0	0.00	0.00
24	मिजोरम	2	2	0	12.77	12.77
25	नागालैंड	2	1	1	12.48	8.39
26	ओडिशा	9	5	4	71.38	52.05
27	पांडिचेरी	0	0	0	0.00	0.00
28	पंजाब	25	21	4	157.03	138.40
29	राजस्थान	14	13	1	83.42	81.00
30	सिक्किम	0	0	0	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	26	15	11	187.02	119.72
32	तेलंगाना	15	11	4	113.03	93.54
33	त्रिपुरा	0	0	0	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	26	21	5	207.21	190.54
35	उत्तराखंड	30	27	3	275.10	265.64
36	पश्चिम बंगाल	17	12	5	111.05	79.65
कुल		**409**	**311**	**98**	**3089.08**	**2540.89**

अनुबंध- II

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु "स्वीकृत शीत शृंखला परियोजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2010 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

शीत शृंखला योजना के अंतर्गत 5 वर्ष पहले [2008-09 से 2020-21] और 10 वर्ष पहले [2008-09 से 2015-16] स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	5 वर्ष से अधिक समय पहले स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या	10 वर्ष से अधिक समय पहले स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	26	5	2	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0
4	असम	2	0	2	0
5	बिहार	5	2	1	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	2	0	2	0
8	दादरा और नगर हवेली और दीव और दमन	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0
11	गुजरात	23	0	8	0
12	हरियाणा	18	1	6	0
13	हिमाचल प्रदेश	16	2	9	0
14	जम्मू और कश्मीर	5	0	3	0
15	झारखंड	0	0	0	0
16	कर्नाटक	15	1	4	0
17	केरल	4	0	2	0
18	लद्दाख	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	10	1	4	1
21	महाराष्ट्र	62	5	27	1
22	मणिपुर	1	0	1	0
23	मेघालय	0	0	0	0
24	मिजोरम	2	0	2	0
25	नागालैंड	2	1	0	0
26	ओडिशा	4	0	1	0
27	पांडिचेरी	0	0	0	0
28	पंजाब	21	1	10	0
29	राजस्थान	13	0	4	0
30	सिक्किम	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	15	1	3	0
32	तेलंगाना	10	0	3	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21	3	9	0
35	उत्तराखंड	29	2	15	1
36	पश्चिम बंगाल	12	0	7	0
	कुल	**320**	**25**	**125**	**3**
